सेवा काल में इनको पूर्ण करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धियों का प्रावधान किया गया था। साथ ही चयनित वेतनमान में पदस्थापन के समय इन उपाधिधारी शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि का प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किया था। राज्य सरकार ने इन प्रावधानों को 1986 से ही प्रभावी बनाया। परन्तु अचानक ही 5 मई 2002 के पश्चात् इस प्रावधान को वापिस ले लिया गया। नये वेतनमानों में वेतन नियतन के समय इन अतिरिक्त वेतनवृद्धियों को अमान्य कर पुनर्वसूली के निर्देश दिये गये हैं। यह सर्वथा अनुचित व प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। प्रभावित शिक्षकों द्वारा पुनः वसूली की सहमति देने पर ही वेतन नियतन किया गया है। यह शिक्षकों पर अनैतिक व अनुचित दबाव है। अनेक शिक्षकों ने विवशतावश इसे स्वीकार किया है, व शेष शिक्षकों को न्यायालय में जाने को विवश होना पड़ रहा है। संगठन का आग्रह है कि एक बार नियमानुसार प्रोत्साहन स्वरूप दिये गये लाभ पूर्वलक्षी प्रभाव से वापिस नहीं लिया जा सकता है, के सिद्धान्त को दृष्टिगत कर राज्य सरकार इन शिक्षकों के प्रति सहृदयता दिखाएं व पुनः वसूली गई राशि को शिक्षकों को प्रदान करने के आदेश प्रसारित हो।

7. **सेवानिवृत्त शिक्षकों को नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के अनुरूप पैंशन का पुनः निर्धारण :-** सेवानिवृत यू.जी.सी. वेतनमान प्राप्त अनेक शिक्षकों की पैंशन का पुनः निर्धारण अभी भी लंबित है। वास्तव में पैंशन संशोधन का लाभ 1 जनवरी 2006 से दिया जाना चाहिये। चयनित वेतन प्राप्त शिक्षकों को तीन वर्ष पूर्ण करने पर 37400-67000 के पे-बैंड का लाभ देने का प्रावधान है, एतदर्थ चयनित वेतनमान वाले पैंशन प्राप्त कर रहे शिक्षकों की पैंशन इसी पे-बैंड के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिये। 1986 से कॅरियर एडवांसमैंट योजना के लागू होने से पूर्व महाविद्यालयों में राज्य की पृथक पदोन्नति व्यवस्था थी। इन सभी पदोन्नत शिक्षकों की पैंशन भी इसी पे-बैंड के अनुरूप किया जाना न्याय संगत होगा। ऐसा नहीं होने पर एक ही पद के पैंशनर्स की पैंशन में भारी भेद हो रहा है तथा आज की मँहगाई की अवस्था में उनका सम्मान पूर्वक जीवन निर्वाह कठिन हो रहा है। इस विषय पर राज्य सरकार से त्वरित व सहानुभूति पूर्ण कार्यवाही अपेक्षित है।

8. **पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षकों की डी.पी.सी. के संबंध में :-** पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षकों की नई सी.ए.एस. के अन्तर्गत संशोधित डी.पी. सी. काफी समय से लम्बित है। आपसे संशोधित डी.पी.सी. शीघ्र करवाये जाने का आग्रह है।

9. **आर. वी.आर.ई.एस. में आए प्राध्यापकों के यू.जी.सी. वेतनमान की एरियर राशि एवं वेतन नियतन के संबंध में :-** आर.वी.आई.ई.एस. में आए प्राध्यापकों द्वारा राजकीय सेवा में पदस्थापन में पूर्व की अवधि की बकाया एरियर राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालयों द्वारा किया जाना है। अतः उक्त अवधि का अनुदान जारी कर इस भुगतान की व्यवस्था तुरन्त करवाने का आपसे आग्रह है। कृषि संकाय के आर.वी.आर.ई.एस. प्राध्यापकों का अभी तक वेतन निर्धारण नहीं हुआ है। इन प्राध्यापकों का वेतन निर्धारण शीघ्र करवा कर उनकी शेष रही एरियर राशि का भुगतान भी साथ ही करवाया जाए।

10. **राज्य के विधि महाविद्यालयों के संबंध में आग्रह :-** राज्य में बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने तदर्थ व्यवस्था के रूप में पृथक विधि महाविद्यालयों का निर्माण तो कर दिया लेकिन एक स्वतंत्र महाविद्यालय के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं अभी सृजित नहीं हो सकी हैं। इन महाविद्यालयों में प्राचार्य/उपाचार्य के पद स्थापन अभी भी अपेक्षित है। अतः संगठन का आग्रह है कि राज्य में बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार पूर्णतः व्यवस्थित महाविद्यालयों की स्थापना कर इन्हें स्वतंत्र महाविद्यालयों का दर्जा प्रदान करें तथा इन महाविद्यालयों हेतु पृथक कैडर का सृजन कर पद एवं बजट का आवंटन किया जावे।

11. **सेवारत प्राध्यापकों को पीएच.डी. उपाधि हेतु कोर्सवर्क से मुक्त करने :-** यू.जी.सी. रेग्यूलेशन 2009 के